रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236204
CG-DL-E-01062022-236204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944
No. 387] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

सा.का.नि. 408(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 30 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारभ**.—(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम परिषद (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022 हैं।

(2) य राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) अभिप्रेत हैं;
(ख) 'परिषद' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (गक) में उसका है;

(ग) 'सचिव' से परिषद का संदस्य अभिप्रत्त है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. रिक्तियों को भरने की रीतिः- सचिव, अधिनियम की धारा 30 क की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों को, ऐसे युक्ति युक्त समय के भीतर जो उस तारीख से जिसको ऐसे आमत्रंण उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, साधारणतया आठ सप्ताह से अधिक का न होगा आमंत्रित करेगा ;

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए भी पालन किया जाएगा ।

4. सदस्य की निरर्हता और उसका हटाया जानाः- (1) कोई व्यक्ति सदस्य होने के लिए तभी निरर्हित होगा जब वह,–

(क) अननुमोचित दिवाला है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हैं; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(च) परिषद् से अनुपस्थिति की अनुमति के बिना तीन लगातार बैंठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है :

(2) किसी सदस्य को उपनियम (1) के खंड (घ), खंड(ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामलें में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

5. बैठक और उसमें कारबार करने की रीतिः- (1) परिषद् प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) परिषद् की बैठकें परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वयं की स्वप्रेरणा पर या सचिव के अनुरोध पर या परिषद् के कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाई जाएंगी ।

(3) परिषद् की बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति परिषद् की वास्तविक संख्या का एक तिहाई होगा ।

(4) परिषद् का अध्यक्ष साधारणतया परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से तीन सप्ताह पहले प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी ।

(6) सूचना में बैठक का स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा ।

(7) सूचना की अवधि अध्यक्ष की पूर्व सहमति से कम की जा सकेगी या अधित्यजित की जा सकेगी ।

(8) कार्य सूची में किसी मद के समावेशन के लिए प्रस्तावों की सूचना सचिव के पास बैठक से दो सप्ताह पहले पहुंच जानी चाहिए ।

(9) बैठक की कार्यसूची सचिव द्वारा सदस्यों को बैठक से दस दिन पूर्व परिचालित किया जाएगा ।

(10) तथापि, परिषद् का अध्यक्ष, ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(11) इस संबंध में, प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के लिए परिषद् के अध्यक्ष का विनिणर्य अन्तिम होगा ।

(12) परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा तैयार किए जाएगा और वे परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे ।

(13) सुझाव दिए गए किसी भी संशोधन के साथ, कार्यवृत्त परिषद् की पुष्टि के लिए उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा ।

(14) कार्यवृत्त की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए जाने और उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर के जाने के पश्चात् उन्हें ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध किया जाएगा जो कार्यालय घन्टों के दौरान सभी विषयों पर परिषद् के सदस्य द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के खुला रखा जाएगा ।

(15) परिषद् की बैठकों में विचार के गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों, जिनमें परिषद् का अध्यक्ष भी है, बहुमत से किया जाएगा ।

(16) यदि मतों को बराबर विभाजित किया जाता है तो परिषद् का अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

(17) उपनियम (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की बैठक जिसमें ऐसा कोई विषय जिसे अध्यक्ष या सचिव द्वारा अत्यावश्यक समझा जाता है या ऐसी कोई अध्यपेक्षा जिसे परिषद् के कम से कम चार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, ली जानी है, अल्पतर सूचना पर बुलाई जा सकेगी ।

6. यात्रा और अन्य भत्तेः- (1) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्यों के सिवाय कोई सदस्य कोई फीस, यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का.ज्ञा.सं. 19047/2016 ई-IV तारीख 14 सितबंर, 2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शासित किए जाएंगे ।

(3) अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट संसद् सदस्य संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसार प्रतिकर भत्ता ही प्राप्त करने का हकदार होगा ।

7. कृत्य और उनका प्रयोग करने की रीति- (1) परिषद् ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगी जो उसे इस अधिनियम द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

(2) परिषद् अपने कृत्यों का प्रयोग या तो सीधे तौर पर प्रयोग करेगी या अपने कृत्यों में से ऐसे कृत्य को प्रत्यायोजित कर सकेगी जो परिषद् के अध्यक्ष के लिए आवश्यक समझें जाएं ।

(3) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा, ऐसे प्रत्यायोजन का प्रयोग करते हुए, की गई कार्रवाई परिषद् को इसकी अगली बैठक में रिपोर्ट की जाएगी ।

(4) जहां बैठक बुलाना समीचीन नहीं है वहां सचिव परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी मद या मदों को जो आवश्यक समझी जाएं, सदस्यों के बीच परिचालित कर सकेगा और उनपर विनिश्चय करने के लिए परिषद् के अध्यक्ष को समर्थ बनाने हेतु उनकी टीका टिप्पणियां अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(5) ऐसे विषय परिषद् को उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

(6) परिषद् ऐसी स्थायी समिति या तदर्थ समितियों का गठन कर सकेगी जिनके ऐसे निश्चित निबंधन हो जो आवश्यक समझे जाएं ।

(7) ऐसी समिति या समितियों की रिपोर्ट या रिपोर्टों को परिषद् के समक्ष उसकी बैठक में विचार किए जाने और उन पर विनिश्चय किए जाने के लिए रखा जाएगा ।

(8) **निवर्चन-** नियम 4 के उपनियम (11) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है उसपर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[फा. सं. 50020/2/2018-एनआईपीईआर]

रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi the 1st June, 2022

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by section 30E of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998(13 of 1998), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Council (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) Rules, 2022

(2) They shall come into force from the date of notification in Official Gazette.

2. Definitions – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998);

(b) 'Council' shall have the same meaning as assigned to it in clause (ca) of section 3 of the Act;

(c) 'Secretary' means the Member Secretary of the Council.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. **Manner of filling vacancies**.- The Secretary shall invite the members nominated by the Visitor under clause (i) of sub-section (2) of section 30A of the Act within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued by him.

(2) The procedure mentioned in sub – rule (1) shall also be followed for filling casual vacancies on the Council.

4. Disqualification and removal of member.—(1) A person shall be disqualified to be a member, if he-

(a) is an undischarged bankrupt; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest

(f) fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Council:

(2) No member shall be removed under clauses (d), (e) and (f) of sub-rule (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5. **Meeting and manner of conducting business thereat**.- (1) The Council shall meet at least once in every six month.

(2) Meetings of the Council shall be convened by the Chairperson of the Council either on its own initiative or at the request of the Secretary or on a requisition signed by not less than four members of the Council.

IndiaCode

(3) The requisite quorum for a Council meeting shall be one-third of the actual strength of the Council.

(4) The Chairperson of the Council shall ordinarily preside at every meeting of the Council:

Provided that in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson shall preside at the meetings of the Council:

Provided further that in the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, any other member, chosen from amongst themselves by the members present at the meeting shall preside at that meeting.

(5) A written notice of every meeting shall be sent by the Secretary to every member three weeks before the date of the meeting.

(6) The notice shall state the place, date and time of the meeting.

(7) The period of notice may be reduced or waived with prior consent of the Chairperson.

(8) Notices of motions for inclusion of any item in the agenda must reach the Secretary two weeks before the meeting.

(9) Agenda for a meeting shall be circulated by the Secretary to the members ten days before a meeting.

(10) The Chairperson of the Council may however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

(11) The ruling of the Chairperson of the Council in this regard to all questions of procedure shall be final.

(12) The minutes of the proceedings of a meeting of the Council shall be drawn up by the Secretary and circulated to all members of the Council.

(13) The minutes, together with any amendment suggested, shall be placed for confirmation of the Council at its next meeting.

(14) After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Council, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Council at all times during office hours.

(15) All questions considered at the meetings of the Council, shall be decided by a majority of the votes of the members present, including the Chairperson of the Council.

(16) If the votes are equally divided, the Chairperson of the Council shall have a second or casting vote.

(17) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), meeting of the council at which any matter which is considered urgent by the Chairperson or Secretary or on a requisition signed by not less than four members of the Council has to be taken, may be called at a shorter notice.

6. Travelling and other allowances.- (1) No member except members referred to in clauses (d) and (i) of sub-section (2) of section 30A of the Act shall be entitled to draw any fee, travelling allowance or daily allowance.

(2) The travelling and other allowances of the members referred to in clauses (d) and (i) of sub-section (2) of section 30A of the Act shall be governed in accordance with the instructions issued *vide* Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No.19047/1/2016 E.IV dated 14th September,2017.

(3) Members of Parliament referred to in clause (j) of sub-section (2) of section 30A of the Act shall be entitled to draw only compensatory allowance in accordance with the clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959).

7. Functions and manner of exercising thereof.- (1) The Council shall exercise such functions as are assigned to it by the Act.

(2) The Council shall exercise its functions either directly or delegate such of its functions as considered necessary to Chairperson of the Council.

(3) The actions taken by the Chairperson of the Council, in exercise of such a delegation, shall be reported to the Council at its next meeting.

(4) Where it is not expedient to convene a meeting, the Secretary may with the approval of the Chairperson of the Council, circulate such item or items, as are considered necessary, among the members and obtain their comments to enable the Chairperson of the Council to take decisions thereon.

(5) Such matters shall be reported to the Council at its next meeting.

(6) The Council may set up such Committee or Committees, standing or ad hoc, with definite terms of reference, as are considered necessary.

(7) The report or reports of such Committee or Committees shall be placed or consideration and decisions of the Council at its meeting.

8. **Interpretation.** - Save as provided in sub-rule (11) of rule 4, if any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

[F. No. 50020/2/2018-NIPER]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.01 20:16:37 +05'30'